न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्याम सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या 100/2021
निर्णय दिनांक

1. लालाराम पुत्र बिरदा
2. हनुमान पुत्र बिरदा
   समस्त जाति कुम्हार, निवासी भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

.... अपीलार्थीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र जैल्या
2. सूरजमल पुत्र जैल्या
3. गोपाल लाल पुत्र रामनारायण
4. सुवालाल पुत्र रामनारायण
5. हरिनारायण पुत्र बाबूलाल
6. सोनी देवी पत्नि बाबूलाल
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
8. एस.बी.आई बैंक जरिये शाखा प्रबंधक शाखा चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

........रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 10.02.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर प्रार्थना पत्र संख्या 29/2019 उनवान हनुमान व अन्य बनाम राज. सरकार व अन्य अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:—निर्णय—:

दिनांक 29/11/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर, जिला जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 29/2019 बउनवानी हनुमान व अन्य बनाम राज. सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.02.2021 के विरूद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ते हेतु इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 264, 265, 266, 267, 268, 269 एवम् 270 कुल किता 7 कुल रकबा 4.97 हैक्टेयर स्थित ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 3 की खातेदारी के खसरा नंबर 26 रकबा 1.88 हैक्टेयर स्थित ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर में से खसरा नंबर 27 ग्राम भट्टों की गली से लगती हुई सीमा पर 4 मीटर चौडा नया रास्ता खसरा नंबर 265 ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर तक पहुंच हेतु चाहते है। प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नंबर 265 ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर व अप्रार्थीगण के खातेदारी के खसरा नंबर 26 रकबा 1.88 हैक्टेयर स्थित ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर सीमा जोड स्थित है। ग्राम भट्टों की गली के खसरा नंबर 26 के बीच में से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

आम रास्ता सडक डामरशुदा स्थित है जो सडक सरकार द्वारा बनाई हुई है जिसमें से होकर प्रार्थीगण खसरा नंबर 26 में से अपनी जोत खसरा नंबर 265 ग्राम चिमनपुरा में कदीम से आते जाते है लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 खसरा नंबर 26 स्थित ग्राम भट्टों की गली में से पूर्वानुसार आने–जाने पर रोक–टांक करते है तथा प्रार्थीगण के पास अपनी जोत में पहुंच हेतु एकमात्र यही रास्ता है तथा यही रास्ता सबसे नजदीक रास्ता है। अंत में अनुतोष चाहा कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण की खातेदारी खसरा नंबर 265 ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में पहुंच हेतु खसरा नंबर 26 स्थित ग्राम भट्टों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर के बीच में से गुजर रही आम सरकारी सडक से खसरा नंबर 27 की सीमा के सहारे–सहारे खसरा नंबर 26 स्थित ग्राम भट्टों की गली में से चार मीटर चौडा रास्ता खसरा नंबर 265 स्थित ग्राम चिमनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में नियमानुसार स्वीकृत करने की कृपा करें। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अभिभाषक उभयपक्षकारान् की बहस सुनकर, बाद बहस मनन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 26 में से 0.06 हैक्टेयर भूमि, प्रार्थी को रास्ते हेतु नियमानुसार दिलवाये जाने हेतु तहसीलदार आमेर को आदेशित किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। अभिभाषक पक्षकारान् की बहस सुनी गई। दौराने बहस अभिभाषक अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जवाब के माध्यम से उजागर किया था कि रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पास अपनी खातेदारी में पहुंच हेतु वर्षो पुराना रास्ता उपलब्ध है। खसरा नंबर 264 में से प्रस्तावित कटानी रास्ता जो ग्राम चिमनपुरा के राजस्व रिकॉर्ड आम रास्ते के खसरा नंबर 261 में मिलता है, खसरा नंबर 268 में प्रस्तावित कटानी रास्ता राजस्व रिकॉर्ड रास्ता नक्शे में दर्ज खसरा नंबर 261 में मिलता है एवम् अन्य वैकल्पिक रास्ता खसरा नंबर 109 के बीच में से होते हुये खसरा नंबर 271 की पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे रेस्पोडेन्ट के पास वर्तमान में मौजूद है जो न्यून से न्यून व प्राकृतिक बाधाओं से रहित है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ते मौजूद है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की जोत खसरा नंबर 269 एवम् 270 पर मकान, बोरिंग, कुंआ बना हुआ है और यही पर रेस्पोडेन्ट्स काफी समय पूर्व से निवास करते है, यही जोत ग्राम चिमनपुरा के राजस्व नक्शे में दर्ज रास्तों के सबसे नजदीकी व सुलभ है बावजूद इसके रेस्पोडेन्ट्स द्वारा खसरा नंबर 26 में से रास्ते की मांग विधि विरूद्व की गई थी। विधिनुसार खातेदार के पास अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं होने की स्थिति में ही धारा 251ए के तहत् नवीन रास्ता प्रदान किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के जवाब के तथ्यों पर ध्यान न देकर अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पारित किया है। अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि उनकी आराजी पर पूर्व के मकानों, स्थाई निर्माण को, रेस्पोडेन्ट को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से, मौका रिपोर्ट में मिलीभगत कर, बाद का निर्माण अंकित किया गया है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विस्तृत रिपोर्ट तलब नहीं कर, अपीलार्थी के पूर्व में निर्मित मकान व स्थाई निर्माण को तोडने के आदेश, अपीलाधीन निर्णय के माध्यम से दिये गये है जो विधि के सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.02.2021 खारिज किया जावे। अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2016–17

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

(Supp.) आर.आर.टी. पेज 597, 2016(2) डी.एन.जे. (राज.) पेज 483 पेश किये। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अभिभाषक अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुए निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की संशोधित धारा 251ए के तहत् नया रास्ता चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है मौके पर रास्ता चालू हो अथवा नहीं इस संबंध में अधिनियम में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मौका रिपोर्ट बनाते समय अपीलान्ट को विधिवत सूचित किया गया था। मौका निरीक्षण तहसीलदार, गिरदावर व पटवारी की मौजूदगी में किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी की आराजीयात में से रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद न होने एवम् निकटतम रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 26 में से होने बाबत, के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज की जावे।

4. अपील मीमों तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभिभाषक अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण कृषि आराजीयात में रास्ते हेतु है जिसके सन्दर्भ में विधि की यह स्पष्ट मंशा होती है कि किसी काश्तकार को उसकी खाते की आराजी में कृषि कार्य हेतु साधन की पहुंच हेतु निकटतम एवम् सुलभ रास्ता उपलब्ध हो किन्तु हस्तगत प्रकरण में सुयोग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसील से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें तहसीलदार द्वारा अंकित किया कि नवनिर्मित अण्डरपास के आगे प्रस्तावित रास्ते की जगह पक्का निर्माण (चारदीवारी) कर, टीन शैड लगाकर पशु बाडे तथा रहने के लिए निर्माण कर लिया है, के आधार पर अपीलार्थी के निर्माण को, आदेश दिनांक 15.11.2019 पारित होने के उपरान्त किया गया अस्थाई निर्माण होना मानते हुए, अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.02.2021 के माध्यम से हटाये जाने के आदेश प्रदान किये गये है जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय के लिए यह आवश्यक था कि जब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तावित रास्ते पर निर्माण मौजूद होने का तथ्य सामने आया तो इस सन्दर्भ में तहसील से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर कि " निर्माण कितना पुराना है एवम् कब किया गया है " के पश्चात् ही प्रकरण का निस्तारण किया जाता किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रक्रिया को न अपनाकर मात्र तहसील से प्राप्त रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते में पक्का निर्माण कर लेने के सरसरी तौर पर अंकन के आधार पर ही बिना विस्तृत जांच के निर्माण हटाये जाने के आदेश पारित कर दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते पर मौजूद निर्माण एवम् अन्य वैकल्पिक रास्ते के संदर्भ में विस्तृत रिपोर्ट, तहसील से प्राप्त कर, उभयपक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर, पुनः विधिसम्मत् निर्माण के सन्दर्भ में निर्णय पारित करें। साथ ही इस अवधि तक अपीलार्थी का निर्माण नहीं हटाये जाने के आदेश दिये जाते है। अपीलार्थी की अपील इस हद तक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 29/11/2021 को लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर